न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 140/2021

दायर दिनांक–23.12..2021

रविकान्त पुत्र सरदाराम जाति मेघवाल निवासी पुरोहितो की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज0।

– वादीगण

बनाम

1. मनोहरलाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति जागिड निवासी पुरोहितो की ढाणी तन मोहनवाडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

–प्रतिवादी

वकील वादीगण : **श्री सज्जन चाहर**
वकील प्रतिवादी : **श्री नेमीचन्द डूडी**
: **राजपैरोकार**

दावा बाबत घोषणार्थ व
नक्शा दुरूस्तीकरण

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 16.05.2022

वादीगण ने एक वाद पत्र इस कदर पेश प्रस्तुत किया कि वादीगण ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराणा की सरहद में स्थित खाता संख्या 422 पुराना खाता संख्या 463 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1664/708 रकबा 0.0398 हैक्टर स्थित है जो वादी की क्रय शुदा कृषि भूमि है तथा इसी ग्राम में खाता संख्या नया 367 पुराना 331 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1613/708 रकबा 0.2102 हैक्टर स्थित भूमि प्रतिवादी की भूमि हैं।

वादी की खसरा नम्बर 1664/708 जो नजरिये नक्शे में दर्शित भूमि Y स्थान पर स्थित है और Y स्थान पर ही वादी का कब्जा है तथा खसरा नम्बर 1613/708 जो X पर है वह प्रतिवादी की भूमि है और X स्थान पर ही प्रतिवादी का कब्जा है परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने नक्शे में गलती करके जहां वादी की भूमि दर्शित होनी चाहिए थी वहां पर प्रतिवादी की भूमि दर्शित कर दी और जहां प्रतिवादी की भूमि दर्शित होनी चाहिए थी वहां पर वादी की भूमि दर्शित कर दी। इसलिए उक्त वादी नजरी नक्शे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में घोषणा व नक्शा दुरूस्ती का दावा प्रस्तुत किया गया है।

वादी को अपने स्थान की भूमि पर मकान बनाने है इसलिए वादी नक्शे के अनुसार जो राजस्व रिकार्ड में गलत है उस गलत रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर अपने मकान बनवाना चाहता है मौके पर वादी का कब्जा वाद–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार Y स्थान पर और Y स्थान का रकबा 0.0398 हैक्टर स्थित है। खसरा नम्बर मे किसी प्रकार की कोई गलती नही है।

वादी का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का [illegible] वादी के पक्ष में है। वादी व प्रतिवादी दोनो नक्शा दुरूस्त करवाने में सहमत है वादी व प्रतिवादी को किसी [illegible] की कोई समस्या नही है। दोनो राजी रजा अपने रकबा व खसरा नम्बर को [illegible] हैं इसलिए सहमति के आधार पर नक्शा दुरूस्त किये जाने में कोई अड़चन नही होगी।

वादी को वादकारण दिनांक 21.12.2020 को राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने के [illegible] अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार मे पैदा हुआ। दावा पूर्णतः श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में स्थित होने से दावे को सुने जाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:24:02 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.)
नवलगढ़

वादी ने अपने वाद–पत्र में अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का ाणा की सरहद में स्थित खाता संख्या नया 422 पुराना खाता संख्या 463 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 4/708 रकबा 0.0398 हैक्टर स्थित है जो वादी की खसरा नम्बर 1664/708 जो नजरिये नक्शे में दर्शित Y स्थान पर स्थित है और Y स्थान पर ही वादी का कब्जा है तथा खसरा नम्बर 1613/708 जो X न पर है वह प्रतिवादी की भूमि है और X स्थान पर ही प्रतिवादी का कब्जा है। नजरिये नक्शे के अनुसार ास्व रिकार्ड दुरूस्त किये जावे व घोषणा की जावे तथा घोषणा व दुरूस्ती के आदेश की तहरीर सीलदार को भेजी जावे। अन्य सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो तथा वादी के हक में पड़ती हो तो वही दिलवाई जावे।

वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की ई। प्रतिवादी नम्बर 01 की ओर से वकील श्री नेमीचन्द डूडी उपस्थित आये व अपना वकालता नामा पेश या। प्रतिवादी नम्बर 02 की ओर से राज पैरोकार उपस्थित आये। प्रतिवादी नम्बर 01 की ओर अधिवक्ता रा वादी के वाद को स्वीकार किया गया। तथा प्रतिवादी नम्बर 02 की ओर से राजपैरोकार ने स्पष्ट किया क वादी अपना नक्शा दुरूस्त करवाता है तो राजहित प्रभावित नही होता है के संबंध में अनापति जाहिर की ई।

प्रकरण में प्रतिवादीगणों की ओर वादी के वाद–पत्र को स्वीकार किये जाने से प्रकरण में तनकीयात क़ायम नहीं गई। शहादत वादी में वादी रविकांत का मुख्य परीक्षकण का शपथ पत्र पेश किया गया। वादी ने अपने वाद के समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रदर्श–1 नक्शा ट्रेश, प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत् 2075–2078, प्रदर्श–3 जमाबंदी पी 35 कमांक 14391 दिनांक 21.12.2021, प्रदर्श–4 नजरी नक्शा आदि प्रदर्शित कराये।

शहादत प्रतिवादी प्रतिवादीगण द्वारा वाद–पत्र स्वीकार किये जाने पर नही ली गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा कथन किया किया कि ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराणा की सरहद में स्थित खाता संख्या 422 पुराना खाता संख्या 463 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1664/708 रकबा 0.0398 हैक्टर स्थित है जो वादी की क्रय शुदा कृषि भूमि है तथा इसी ग्राम में खाता संख्या नया 367 पुराना 331 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1613/708 रकबा 0.2102 हैक्टर स्थित भूमि प्रतिवादी की भूमि हैं। वादी की खसरा नम्बर 1664/708 जो नजरिये नक्शे में दर्शित भूमि Y स्थान पर स्थित है और Y स्थान पर ही वादी का कब्जा है तथा खसरा नम्बर 1613/708 जो X पर है वह प्रतिवादी की भूमि है और X स्थापर पर ही प्रतिवादी का कब्जा है परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने नक्शे में गलती करके जहां वादी की भूमि दर्शित होनी चाहिए थी वहां पर प्रतिवादी की भूमि दर्शित कर दी और जहां प्रतिवादी की भूमि दर्शित होनी चाहिए थी वहां पर वादी की भूमि दर्शित कर दी। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे।

बहस का मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराणा की सरहद में स्थित खाता संख्या 422 पुराना खाता संख्या 463 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1664/708 रकबा 0.0398 हैक्टर स्थित है जो वादी की क्रय शुदा कृषि भूमि है जो प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत 2075–2078 से सिद्ध होती है। इसी ग्राम में खाता संख्या नया 367 पुराना 331 के अन्तर्गत भूमि खसरां नम्बर 1613/708 रकबा 0.2102 हैक्टर स्थित भूमि प्रतिवादी की भूमि प्रदर्श–3 से साबित हैं। वादी द्वारा उक्त भूमि की क्रय की हुई हे जो पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र से साबित होता है। प्रदर्श–4 नजरी नक्शे के अनुसार वादी की खसरा नम्बर 1664/708 जो नजरिये नक्शे में दर्शित भूमि Y स्थान पर स्थित है और Y स्थान पर ही वादी का कब्जा है तथा खसरा नम्बर 1613/708 जो X पर है वह प्रतिवादी की भूमि है और X स्थान पर ही प्रतिवादी का कब्जा है साबित होता है। बिना सक्षम आदेश के नक्शे में जहां वादी की भूमि दर्शित होनी चाहिए थी वहां पर प्रतिवादी की भूमि दर्शित कर दी और जहां प्रतिवादी की भूमि दर्शित होनी चाहिए थी वहां वादी की भूमि दर्शित कर की गई है जो दुरूस्त किया जाना उचित है। वादी द्वारा अपने वाद में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतया साबित पाया जाता हैं। इसलिये राजस्व रिकॉर्ड में जो नक्शा चल रहा है, संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादी न्यायोचित प्रतीत होता है जिसको स्वीकार किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:24:02 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रै.)
नवलगढ़

अतः वाद वादीगण संलग्न नजरी नक्शे अनुसार स्वीकार किया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

(1A)

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादीगण मुताबिक सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार स्वीकार किया जाता है। ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराणा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1664/708 जो नजरिये नक्शे में दर्शित भूमि Y स्थान पर वादी की भूमि स्थित है तथा खसरा नम्बर 1613/708 जो X पर है वह प्रतिवादी की भूमि है के संबंध में नजरी नक्शा वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया है, उक्त नजरी नक्शा प्रर्दशित मार्क अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार नवलगढ मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/तरमीम करे। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करेगे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक **16.05.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:24:02 IST
Reason: SelfAttested

(10)

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) नवलगढ़

दावा बाबत घोषणार्थ नक्शा दुरूस्तीकरण

मुकदमा सं0:– 140/2022 **(रविकांत बनाम मनोहर लाल)**

पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 16.05.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी मुताबिक सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार स्वीकार किया जाता है। ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराणा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1664/708 जो नजरिये नक्शे में दर्शित भूमि Y स्थान पर वादी की भूमि स्थित है तथा खसरा नम्बर 1613/708 जो X पर है वह प्रतिवादी की भूमि है के संबंध में नजरी नक्शा वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया है, उक्त नजरी नक्शा प्रर्दशित मार्क अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार नवलगढ मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/तरमीम करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.05.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	10.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:24:02 IST
Reason: SelfAttested